तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद पत्र संख्या 24/2022 **दावा बाबत घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955** **उनवानी** **दुलीचन्द बनाम मोतीलाल आदि** GCMS 2022/35	

16.12.2022

पत्रावली पेश हुई। वकुलाये फरीकेन उपस्थित। बहस अधिवक्ता उभय पक्षकारान पूर्व में सुनी जा चुकी है। आज निर्णय सुनाया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

वादी के द्वारा उक्त वाद वाद पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से ग्राम नालपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 1433 रकबा 0.45 हेक्टेयर में से जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18.06.2002 से क्रय भूमि रकबा 504.45 वर्ग मीटर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2054 से 2057 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरकरण संख्या 401 दिनांक 20–11–2002 के द्वारा उपरोक्त विक्रय पत्र का अमल राजस्व रिकार्ड में हो चुका है तथा नामान्तरकरण संख्या 424 दिनांक 06–02–2003 के द्वारा पक्षकारान में विभाजन होकर रकबा 504.45 हेक्टेयर की एकल खातेदारी वादी के नाम दर्ज हो चुकी है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या नया 128 में रकबा 0.504 हेक्टेयर की खसरा नम्बर 2103/1433 से एकल खातेदारी वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी के द्वारा हस्तगत वाद के जरिये जो अनुतोष चाहा गया है, वह पहले से ही वादी को प्राप्त है। इस कारण हस्तगत वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

पत्रावली फैसल होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:09 IST
Reason: SelfAttested

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में डिक्री (अंतिम)
डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedaur Code Appendix 'D' –I)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

दुलीचन्द खद्दा पुत्र श्री घड़सीराम जाति जाट उम्र 70 वर्ष निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... वादी

बनाम

1. मोतीलाल पुत्र स्व. भागीरथ जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
2. रामबाई पत्नि स्व. भागीरथ जाति जाट निवासी नालपुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नम्बर :– 24 / 2022
GCMS NO. 2022/35
निर्णय दिनांक :– 16–12–2022

वादी की ओर से **श्री रोहिताश्व मनकस एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से **श्री महेन्द्र छावड़ी एडवोकेट** की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख **16–12–2022** को **श्री जयसिंह** (आर.ए.एस.) **उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

"वादी का वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज तारीख **16–12–2022** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2023.01.09 13:07:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner